

OSM
OS & F.B. (2018)

16.3.18

OS (Gen)/AO

circulate all

 <p>श्रिता से मुक्ति</p>	<p>क्षेत्रीय कार्यालय Regional Office कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) "पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 001 Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Marg, JAIPUR - 302 001</p>	<p>दूरभाष-0141-2226133 फैक्स-0141-2226134</p> <p>Website- www.esicrajasthan.in</p> <p>E-mail: rd-raisthan@esic.nic.in, rd-rajasthan@esic.in</p>
---	--	---

संख्या: 15-यू-11/का. आ./एसएमसी/2013 वोल्युम III


दिनांक 14.03.2018

परिपत्र

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018 के कार्यालय आदेश सं. 18 (No. A-22/13/1/2009 Med.VI Col.V) दिनांक 5.3.2018 की अनुपालना में डॉ. मोना वर्मा को दिनांक 13.03.2018 अप. में राज्य चिकित्सा आयुक्त, राजस्थान क्षेत्र के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा निगम मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या: 16/18/1/SMC/2009/ Med.I के दिनांक 24.01.2018 के संबंध में राज्य चिकित्सा आयुक्त, राजस्थान क्षेत्र को प्रदत्त सभी शक्तियाँ दिनांक 14.3.2018 पूर्वा. से क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में है।

अतः सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सभी प्रकार के पत्राचार " क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302001" पर ही करें।

सभी टाई-अप अस्पतालों एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में क्षेत्रीय निदेशक की ई-मेल आईडी rd-rajasthan@esic.in, rd-raisthan@esic.nic.in" पर ही मेल भेजने का श्रम करें।


(एस. डी. चन्देल)
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक, (E-1) मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी रोड, नई दिल्ली-110 002 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. महानिदेशक, (Med.I) मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी रोड, नई दिल्ली-110 002 को उनके पत्र संख्या: 16/18/1/SMC/2009/ Med.I के दिनांक 24.01.2018 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. महानिदेशक, (Med.VI) मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी रोड, नई दिल्ली-110 002 को उनके वर्ष 2018 के कार्यालय आदेश सं. 18 दिनांक 5.3.2018 (No. A-22/13/1/2009 Med.VI Col.V) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. वित्तीय आयुक्त, मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, मुख्यालय, कराबी निगम, नई दिल्ली।
6. श्रीमान् शासन सचिव (श्रम एवं नियोजन) शासन सचिवालय, राज. सरकार, जयपुर।

7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कराबी योजना, लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त जानकारी से सभी संबंधितों को अवगत करवाने का श्रम करें।
8. उप चिकित्सा आयुक्त (DMC-SST), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली।
9. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल, जयपुर।
10. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मिवाडी/अलवर।
11. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल-जोधपुर/कोटा/भीलवाडा/पाली।
12. संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जोधपुर/उदयपुर।
13. सभी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
14. सभी टाई-अप अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेन्टर्स, राजस्थान क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
15. सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, राजस्थान क्षेत्र।
16. मेडिकल विजिलेन्स ऑफिसर, क्षे. का., कराबी निगम, जयपुर।
17. सहायक निदेशक (पी. आर.) क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त सूचना राजस्थान की वेबसाइट www.esicrajasthan.in पर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
18. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श औषधालय एवं स्वास्थ्य निदान केन्द्र, चन्देरिया, चित्तौड़गढ़।
19. बीमा चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी), कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श औषधालय एवं स्वास्थ्य निदान केन्द्र, झुंझुनू।
20. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजस्थान क्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि एक प्रति सूचना पट्ट पर लगाने का श्रम करें।
21. सचिव, एसिक यूनियन, राजस्थान क्षेत्र, जयपुर।
22. एसिक कॉ.आपरेटिव सोसाइटी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
23. रोकड/वित एवं लेखा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कराबी निगम, जयपुर।
24. सभी शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
25. सभी आई एम पी/सैकण्डरी लेवल ट्रीटमेन्ट (नये कार्यान्वित क्षेत्र) टाई-अप अस्पतालों को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ई.एस.आई.)
लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड,
राजस्थान, जयपुर-6


आवश्यक

क्रमांक / अंकन / ईएमआई / 2018 / 756

दिनांक 16-3-2018

प्रतिभाषित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

- (1) चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय जोधपुर, भीलवाडा, कोटा एवं पाली।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजस्थान।
3. समस्त शाखा प्रभारी इस निदेशालय।


(डॉ. आर.आर. मीना)
उप निदेशक